

न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद-77/2016

राजेन्द्र राय.....वादी

बनाम

समप्रसाद राय वगैरहप्रतिवादी

आदेश

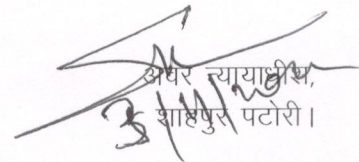
03.11.22 अभिलेख आज वादी की ओर से वादपत्र संशोधन हेतु दाखिल आवेदन दिनांक-14.08.2022 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक-08.09.2022 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के लंबन के दौरान कारोना महामारी का फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण कार्य करते हुए वादी को बेदखल कर दिया गया है जिसके कारण वादपत्र में बेदखली एवं उससे संबंधित अनुतोष का संशोधन आवश्यक हो गया है। अतः आवेदन स्वीकृत करते हुए प्रस्तावित संशोधन की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में प्रतिवादीगणों ने यह निवेदन किया है कि विवादित भूमि प्रतिवादीगणों की मौरुसी भूमि है जिसपर उनका मकान पूर्व से अवस्थित है तथा उनका प्रस्तावित संशोधन कुछ शब्दों के संबंध में अभिवचन में सम्मिलित नहीं है तथा उनका आवेदन आदेश 6 नियम 17 के परन्तुक द्वारा बाधित है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी द्वारा वादपत्र के मद सं0-1 में उल्लिखित विवादित भूमि के निस्वत खतियान को शून्य एवं अप्रभावकारी घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है एवं दखल-कब्जा के संबंध में वादी ने किसी अनुतोष की मांग नहीं की है। अब प्रस्तावित संशोधन के द्वारा वादी दखल-कब्जा के संबंध में संशोधन प्रस्तावित करते हैं और बेदखली का अभिवचन करते हुए प्रस्तावित संशोधन वादपत्र में अंकित कराना चाहते हैं। वर्तमान वाद विवादक गठन पश्चात् वादी साक्ष्य हेतु नियत है एवं वादी का आंशिक प्रतिपरीक्षण भी पूर्व में हो चुका है, परन्तु अभिलेख से स्पष्ट है कि केवल मात्र वादी ही वर्तमान वाद में आंशिक परीक्षित हुए हैं और दखल-कब्जा के संबंध में मांगा गया अनुतोष कथन-कारण से संबंधित है एवं प्रस्तावित संशोधन उभय पक्षों के मध्य अंतर्ग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त संशोधन आवेदन स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि आज की तिथि से अगले 14 दिनों के भीतर वादपत्र में अपना वांछित संशोधन दर्ज करें एवं सिरिस्तेदार का पुनः प्रतिवेदन प्राप्त होने पर वादी अपने अनुतोष के संबंध में मूल्यानुसार न्याय शुल्क न्यायालय में जमा करें। तत्पश्चात् अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत करें। **प्रतिवादीगणों को प्रस्तावित संशोधन के आलोक में अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने का पूर्ण अधिकार होगा।**

वाद दिनांक- 17-11-2022 वास्ते प्राप्ति सिरिस्तेदार प्रतिवेदन।


अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी।